

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... गणक सिंह ..... बनाम ..... राज. सरकार

प्रकरण संख्या ..... 33 ..... / 2015 अन्तर्गत धारा ..... आ.श. वि. 9 ए. 1

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
27 <sup>01</sup> / <sub>25</sub>	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची की इजराय प्रापना पत्र आ. श. वि. 9 ए. 1 स्वीकार किया जाता है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली विणति होकर नम्बर से कम होकर वापिल रकत हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राज  
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न०:- 01501226005

ईमेल-sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/69  
तहसीलदार (राजस्व),  
श्रीकरणपुर।

दिनांक :- 27.01.2025

विषय:-प्रकरण संख्या 01/2022 अनवान नानक सिंह आदि बनाम  
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत आदेश  
21 नियम 9 जाब्ता दीवानी में पारित निर्णय दिनांक  
27.01.2025 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान प्रकरण में पारित निर्णय  
दिनांक 27.01.2025 के अनुसार इजराय प्रार्थना पत्र, प्रार्थी भली-भांति साबित  
होने से स्वीकार किया जाकर अनवान सुन्दर सिंह बनाम राम सिंह आदि,  
प्रकरण संख्या 33/2015 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए में पारित निर्णय  
दिनांक 12.12.2015 में पारित संशोधित डिक्री दिनांक 13.05.2016 की  
नियमानुसार पालना किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर कस्बा श्रीगवानगर